



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269749
CG-DL-E-01022026-269749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947

No. 79]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं.12 /2026-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 80(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1038(अ), तारीख 2 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 135/2016-सीमाशुल्क(एन.टी.), तारीख 2 नवंबर, 2016 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्यांक (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) पात्र विनिर्माता आयातकर्ता:

परंतु पात्र विनिर्माता आयातकर्ता के वर्ग 31 मार्च, 2028 तक आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान करने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।”;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(iii) पात्र विनिर्माता आयातकर्ता से विनिर्माता आयातकर्ता अभिप्रेत है,”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. स. 450/04/2026-सीमा. IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणः- मूल अधिसूचना सं. 135/2016 सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 2 नवंबर, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1038 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 78/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 19 अगस्त, 2020, संख्यांक सा.का.नि. 513 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 12/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 80(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 47 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 135/2016-Customs (N.T.), dated the 2nd November, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1038(E), dated the 2nd November, 2016, namely:—

in the said notification, —

(i) after serial number (ii), the following serial number shall be inserted, namely: —

“(iii) Eligible Manufacturer Importer:

Provided that the class of Eligible Manufacturer Importer shall be permitted to make deferred payment of import duty up to the 31st March, 2028.”;

(ii) in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: - “(iii) Eligible Manufacturer Importer means Manufacturer Importer,”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/04/2026–Cus. IV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)

Note: The principal notification number 135/2016-Customs (N.T.), dated the 2nd November, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1038(E), dated the 2nd November, 2016 and was last amended by notification number 78/2020-Customs (N.T.), dated the 19th August, 2020, *vide* number G.S.R. 513(E) dated the 19th August, 2020.